और लोगों ने प्रिंसिपल को बचाया और उन दोनों को पकड़ लिया ।

इस शर्मनाक घटना के बाद सैकड़ों लोग जमा हो गए । वहां पहले से उपस्थित शिक्षा अधिकारियों ने घटना की सूचना जिला पुलिस उपायुक्त श्रीमती किरण बेदी को दी । लगभग 5 बजे के करीब श्रीमती किरण बेदी घटना स्थल पर पहुंचीं ।

अध्यापकों की मांग थी कि इन दोनों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए ।

शिक्षा उप निदेशिका श्रीमती खन्ना के अनुसार प्रिंसिपल को शिक्षा निदेशक की ही गाड़ी में जब मेडिकल कराने के लिये पुलिस अस्पताल ले जाया गया तो यह कहा गया कि आप कल आएं आज टेक्नीशियन नहीं हैं ।

45 वर्षीय चोटग्रस्त श्रीमती कौर को उप निदेशिका श्रीमती खन्ना कल पुनः ऐक्सरे कराने के लिये अस्पताल ले जाएंगी और उसी के बाद पुलिस अपनी धारणा बनायेगी कि मामला दर्ज किया जाए या नहीं ।

(vii) ALLEGED BEATING UP OF A LADY SCHUDULHD CASTE M.L.A. OF U.P., IN KANPUR.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। रक्षक पुलिस ही भक्षक बन गई है। पुलिस थानों पर दरोगा, दीवान, पुलिस . . , उच्च अफसर सारी व्यवस्था को लगता है अपने हाथ में ले लिये हैं । खास तौर से हरिजन, कमजोर वर्ग और गरीब व्यक्ति इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है ।

अभी दिनांक 30-11-80 को कानपुर में एक अत्यन्त अफसोसजनक घटना घट गई । यहां की एक हरिजन विधायिका श्रीमती कमला दरियाबादी एक शान्ति-प्रिय बुजुर्ग महिला हैं लाटूश रोड पुलिस चौकी के पुलिस इंस्पेक्टर ने हरिजन विधायिका को भी बेइज्जत किया। उनके बच्चों को पीटा तथा हजारों आदमियों के सामने उनको भद्दी भद्दी गाली देते हुए नंगी पिस्तौल निकाल कर दौड़ा लिया। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि ऐसे एम० एल० ए०, एम० पी० को मैं रोज पैदा करता हूं। विधायिका को यदि लोग बचा न लेते तो वह दरोगा पिस्तौल चला देता और एक भयंकर घटना घट जाती ।

विधायिका ने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, । आई० पी० एस० 354, 506, 504 व 352 की रिपोर्ट लिखी गई, परन्तु अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । वहां की जनता में काफी रोष है । हरिजनों, पिछड़े वर्गों और कमजोरों में भय तथा आतंक है । विधायक और लोक सभा के सदस्य जन-प्रतिनिधि एवं सम्मानित नागरिक होते हैं । जनता अपने प्रतिनिधियों की इस दुर्दशा से निराश तथा हतोत्साहित हो जायेगी तो देश का क्या होगा ?

मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी आशा में करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण करें एवं इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही करें ।

महोदय, मुझे दुःख तो इस बात का है कि नियम 377 की इस नोटिस में से . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing other than the approved statement will go on record.